संख्या-44/2026/373/59-2-2026/002-2009985

प्रेषक,

कपिल देव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 01 सितम्बर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ एवं परिक्षेत्रीय कार्यालयों हेतु वाहन क्रय किये जाने हेतु 03-खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद को सहायता-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-1303/खा0ग्रा0बो0/सा0प्रशा0/नये वाहन क्रय पत्रा0/2026-27 दिनांक 30.07.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ एवं परिक्षेत्रीय कार्यालयों हेतु 08 नये वाहन क्रय किये जाने हेतु 03-खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद को सहायता-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मद में प्रावधानित धनराशि रू0 114.00 लाख (रूपये एक करोड़ चौदह लाख मात्र) में से शासनादेश संख्या-39/2026/185/59-2-2026/001-2009985, दिनांक 09 जुलाई, 2026 द्वारा 06 बोलेरो वाहन क्रय हेतु धनराशि रू0 5274330.00 (रुपये बावन लाख चौहत्तर हजार तीन सौ तीस मात्र) (खादी बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये जेम पोर्टल इनवाइस के आधार पर) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 61,25,670.00 (रूपये इकसठ लाख पच्चीस हजार छ: सौ सत्तर मात्र) में से धनराशि रू0 76,560.00 (रूपया छिहत्तर हजार पांच सौ साठ मात्र) (खादी बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये जेम पोर्टल इनवाइस दिनांक 21 जुलाई, 2026 के आधार पर) को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

**नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों**

(1) उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड GEM की दरों की अनुमन्यता एवं वैधता अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे।

(2) उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उक्त निष्प्रयोज्य वाहनों के सापेक्ष पूर्व में वाहन क्रय नहीं किया गया है तथा वाहन क्रय सम्बन्धी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड वाहन क्रय से संबंधित सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 21.12.2023 में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि जिन अधिकारियों के लिए जो वाहन प्रस्तावित हैं उनके लिए उस वाहन के उपयोग किये जाने की अनुमन्यता है।

(4) उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अधिकारियों को राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा अन्य संगठन/संस्थान द्वारा उपयोगार्थ कोई अन्य वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया हो।

(5) स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि की स्वीकृति की जा रही है।

(7) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय नियम संग्रह-5 भाग-1 के प्रस्तर-369(एच) के अनुसार निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज व मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिये भी उपलब्ध रहेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 52,74,330 (रुपये बावन लाख चौहत्तर हजार तीन सौ तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 005 **लेखा शीर्षक** 2851001050300 खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता **मानक मद** 35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-6-32-X-2026-27, दिनांक 27.08.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

कपिल देव
अनु सचिव।

संख्या-44/2026/373/59-2-2026/002-2009985 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।

7- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कपिल देव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।